**<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–13, गाजियाबाद।</u>**

उपस्थितः सौरभ गोयल, (उच्चतर न्यायिक सेवा) J.O.Code –2757

सत्र परीक्षण संख्या–987/2016

मुकदमा अपराध सं०–1597/2013

राज्य बनाम फारूख अल्वी आदि

अंतर्गत धारा–398,401,420 भा०दं०सं०

थाना–कविनगर, जनपद गाजियाबाद

उपस्थित:–

1–अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री विरेश त्यागी।

2–अभियुक्त फारूख अल्वी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री चौधरी हयात अली।

**<u>26.07.2023</u>**

प्रार्थी/अभियुक्त फारूख अल्वी पुत्र सगीर की तरफ से जिरये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत मामले में वारण्ट रिकॉल हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र में संक्षेप में कथन किया गया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त के न्यायालय द्वारा दिनांक 29–06–2023 को गैर जमानतीय वारण्ट जारी कर दिये गये हैं। प्रार्थी/अभियुक्त पेशे से ड्राईवर है। उसने अपने पूर्व अधिवक्ता से हाजरी माफी प्रार्थना पत्र न्यायालय में देने का आग्रह किया था, परन्तु ईद का त्यौहार होने का कारण पूर्व अधिवक्ता बाहर गये हुए थे जिस कारण हाजरी माफी प्रार्थना पत्र नहीं दे पाये और प्रार्थी /अभियुक्त अग्रिम नियत तथि 14.07.2023 को जानकारी न होने के कारण न्यायालय में हाजिर होने में असमर्थ रहा तथा कांवड के चलते रास्ते बन्द थे इसीलिए प्रार्थी/अभियुक्त ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। उसकी गलती क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसके विरुद्ध जारी गैर जमानती वारन्ट को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरुद्ध विगत दो तिथि के वारण्ट हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त जानबूझकर प्रस्तुत सत्र परीक्षण के निस्तारण को विलम्बित कर रहा है, परन्तु अभियुक्त द्वारा स्वयं आत्मसमर्पण कर न्यायालय में उपस्थित होने व अभियुक्त की दया याचना पर प्रार्थना पत्र में वर्णित आधार, जिसका समर्थन शपथपत्र से किया गया है, पर्याप्त है। अतः सशर्त प्रस्तुत वारण्ट रिकॉल प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

प्रार्थी/अभियुक्त फारूख अल्वी द्वारा प्रस्तुत वारण्ट रिकॉल प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन– 1,00,000/–(एक लाख) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करने पर उसके विरूद्ध जारी गैर जमानती वारण्ट निम्न शर्त के अधीन निरस्त किया जाता है।

1. अभियुक्त भविष्य में न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
2. अभियुक्त अपनी उपस्थिति के संबंध में न्यायालय के समक्ष अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करेगा।
3. अभियुक्त अंकन 200/–रूपये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद में हर्जे के रूप में जमा करेगा।

(सौरभ गोयल)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–13
गाजियाबाद।